(ख) और (ग) जी, नहीं । इस योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की परिकल्पा कल्पना की गई है।

पब्लिक स्कूलों में कदाचार

1497. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक स्कूलों में चन्दे (डोनेशन) के आधार पर दाखिला दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धन परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे इन स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पब्लिक स्कूल भवन निर्माण, मनोरंजन, पुस्तकालय निधि आदि के नाम पर हजारों रुपये वसूल करते रहते हैं और यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) क्या पब्लिक स्कूलों की संख्या में हो रही अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) पब्लिक स्कूल अथवा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल उच्च शुल्क वसूलने वाली संस्थाएं हैं जो केवल इसलिए चल रही हैं चूंकि माता-पिता उच्च शुल्क स्वेच्छा से दे रहे हैं । तथापि सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र प्रशासन से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है । संबंधित राज्य अथवा संघ क्षेत्र के शिक्षा अधिनियमों अथवा नियमावलियों के अन्तर्गत निहित मान्यता प्रदान करने की शर्तों के अधीन उनका स्कूल कर्मचारियों को वेतन का भुगतान और शुल्क वसूलने पर नियंत्रण रहता है । ऐसे कुछ शिक्षा अधिनियमों अथवा नियमावलियों में केपीटेशन शुल्क वसूलने और दान आदि लेने की मनाही है । पब्लिक स्कूलों में प्रवेश की मांग को कम करने के लिए सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार लाना और उन्हें पब्लिक स्कूलों के समकक्ष स्तर पर लाना आवश्यक है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तरोन्यन का कार्य उन्हें व्यापक रूप से एकरूप पेटन का पाठ्यक्रम पाठ्य-पुस्तकों को उपलब्ध करवाने और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से भौतिक सुविधाओं और शैक्षिक आदानों में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है । सरकार शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है । प्रतिभाशाली बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों, को सुस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 1986 में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना आरंभ की । अब तक 261 नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना आरंभ की । अब तक 261 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

उन पब्लिक स्कूलों को बंद करने से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग), 19(1)(छ), 30(1) और 31(क) का उल्लंघन होगा जो निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं । तदनुसार इन्हें बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एन०सी० ई० आर०टी० द्वारा पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (संदर्भ दिनांक 30-9-86) के लिए प्रकाशित संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध स्कूलों संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में कुल स्कूलों का केवल 4.39% ऐसा है जो निजी गैर-सहायता प्राप्त अथवा पब्लिक स्कूल की श्रेणी में आता है । इस प्रकार देश के अधिकांश स्कूल गैर-समृद्ध वर्गों के बच्चों के प्रवेश के लिए खुले हैं।